न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 37 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. जगमाल पुत्र छोगाराम उम्र 73 वर्ष
2. अर्जुनराम पुत्र छोगाराम उम्र 69 वर्ष जाति माली निवासी आम्बावाड़ी तहसील शिव जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.जीवणदान पुत्र शंकरदान उम्र 69 वर्ष जाति चारण निवासी गूंगा तहसील शिव जिला बाड़मेर

2.भारमलसिंह पुत्र सांवलसिंह जाति लखा तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।

3.प्रकाशकंवर पत्नी शेरसिंह उम्र 58वर्ष जाति राजपूत निवासी कपूरडी तहसील व जिला बाड़मेर।

4.दिनेशपालसिंह पुत्र शेरसिंह उम्र 20 वर्ष जाति राजपूत निवासी कपूरड़ी तहसील व जिला बाड़मेर

5.निम्बसिंह पुत्र भाखरसिंह उम्र 42 वर्ष जाति राजपूत निवासी जानसिंह की बेरी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर।

6.जुंझारसिंह पुत्र कानसिंह उम्र 45 वर्ष जाति राजपूत निवासी राजगढ़ तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

7.शाखा प्रबंधक, एस.बी.आई शाखा शिव

8.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 241/2015 बअनवान जीवणदान बनाम जगमाल वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भगवानदास गोयल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री प्रेमाराम सोनी रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 15.10.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा अम्बावाड़ी तहसील शिव जिला बाड़मेर में अपीलांट व उतरदातागण संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 17 रकबा 56.14 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा संख्या 18 रकबा 24.13 बीघा किस्म बारानी दोयम के आये हुए है। उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस आशय का पेश किया कि उनका खातेदारी हिस्सा 1/4 शेष सह खातेदारान प्रतिवादीगण से विभाजित कर पृथक किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी सख्या 01 व 02 ने जबाव दावा पेश कर इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त आराजी में अपना हिस्सा 1/4–1/4 पृथक करने व विशेष आपतियां पेश की एवं प्रतिवादी संख्या 04 व 05 ने यह दावा अस्वीकार कर अपना हिस्सा खातेदारी में घोषित करने व काउन्टर क्लेम पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण ने हस्तगत वाद का विरोध कर मौके पर वादी का कोई कब्जा नहीं होना व वादी अजनबी क्रेता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के जबाव दावा के आधार पर न तो कोई विवाधक बिन्दु कायम किये व न ही साक्ष्य सबूत लिये केवल मात्र अपनी मनमर्जी से दिनांक 14.06.2017 को केवल वादी/रेस्पोडेंट वकील की बहस सुनी जाकर प्राथमिक डिक्री विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु नायब तहसीलदार शिव को कमीश्नर मुकर्रर कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.06.2017 को वादी की साक्ष्य स्वरूप शपथ–पत्र वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता को उक्त शपथ–पत्र की कोई प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई एवं न ही प्रतिवादीगण का अधिवक्ता कैम्प में उपस्थित था केवल मात्र एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2017 को उक्त विभाजन प्रस्ताव माननीय अधीनस्थ न्यायालय में नायब तहसीलदार शिव द्वारा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्याययल में दिनांक 13.12. 2017 को वादी के अधिवक्ता ने प्रतिवादीगण के प्रतिदावे को स्वीकार किया एवं काउन्टर क्लेम भी स्वीकार कर अपनी सहमति स्वरूप पत्रावली पर हस्क्षार किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई कर पुनः दोनों पक्षों की उपस्थिति में एवं सड़क की दिशा में पक्षकारान के हिस्से के अनुपात व मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव बाई मिट्स अण्ड बाउण्ड तैयार कर न्यायायल में पेश करने हेतु तहसीलदार शिव को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया। दिनांक 06.04.2018 को विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त हुआ। उक्त विभाजन प्रस्ताव नायब तहसीलदार शिव द्वारा ही तैयार किया हुआ न्यायायल में पेश हुआ जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार शिव को मौका कमीश्नर नियुक्त किया था। तहसीलदार शिव ने अपने कमीश्नर के पावर आगे नायब तहसीलदार को हस्तांतरित कर दिये जबकि कानून की स्पष्ट मंशा है कि डेलीगट पावर इज नोट डेलीगटेड अर्थात किसी न्यायालय द्वारा जो पावर मौका कमीश्नर को दिये जाते है वे अधिकार उक्त मौका कमीश्नर आगे किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकते। यह मेन्डेटरी प्रोविजन है कि तहसीलदार स्वयं ही विभाजन प्रस्ताव बना सकते है की पालना नहीं करने से विभाजन प्रस्ताव प्रारम्भ से ही अवैधानिक व शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के विरोध के बावजूद उक्त विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री कर दिया। विभाजन प्रस्ताव के लिए वादी को नोटिस नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रतिवादी सख्या 01 व 02 ने जबाव दावा पेश कर इस वादग्रस्त आराजी में अपना हिस्सा 1/4–1/4 पृथक करने व विशेष आपतियां पेश की एवं प्रतिवादी संख्या 04 व 05 ने यह दावा अस्वीकार कर अपना हिस्सा खातेदारी में घोषित करने व काउन्टर क्लेम पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण ने हस्तगत वाद का विरोध कर मौके पर वादी का कोई कब्जा नहीं होना व वादी अजनबी क्रेता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के जबाव दावा के आधार पर न तो कोई विवाधक बिन्दु कायम किये व न ही साक्ष्य सबूत लिये केवल मात्र अपनी मनमर्जी से दिनांक 14.06.2017 को केवल वादी/रेस्पोडेंट वकील की बहस सुनी जाकर प्राथमिक डिक्री विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु नायब तहसीलदार शिव को कमीश्नर मुकर्रर कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.06.2017 को वादी की साक्ष्य स्वरूप शपथ–पत्र वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता को उक्त शपथ–पत्र की कोई प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई एवं न ही प्रतिवादीगण का अधिवक्ता कैम्प में उपस्थित था केवल मात्र एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2017 को उक्त विभाजन प्रस्ताव माननीय अधीनस्थ न्यायालय में नायब तहसीलदार शिव द्वारा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायायल में दिनांक 13.12.2017 को वादी के अधिवक्ता ने प्रतिवादीगण के प्रतिदावे को स्वीकार किया एवं काउन्टर क्लेम भी स्वीकार कर अपनी सहमति स्वरूप पत्रावली पर हस्क्षार किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई कर पुनः दोनों पक्षों की उपस्थिति में एवं सड़क की दिशा में पक्षकारान के हिस्से के अनुपात व मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव बाई मिट्स अण्ड बाउण्ड तैयार कर न्यायायल में पेश करने हेतु तहसीलदार शिव को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया। दिनांक 06.04.2018 को विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त हुआ। उक्त विभाजन प्रस्ताव नायब तहसीलदार शिव द्वारा ही तैयार किया हुआ न्यायायल में पेश हुआ जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार शिव को मौका कमीश्नर नियुक्त किया था। तहसीलदार शिव ने अपने कमीश्नर के पावर आगे नायब तहसीलदार को हस्तांतरित कर दिये जबकि कानून की स्पष्ट मंशा है कि डेलीगट पावर इज नोट डेलीगटेड अर्थात किसी न्यायालय द्वारा जो पावर मौका कमीश्नर को दिये जाते है वे अधिकार उक्त मौका कमीश्नर आगे किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकते।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

विभाजन के मामले में तहसीलदार स्वयं का मौके पर जाना आवश्यक है। अपीलांटगण द्वारा अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर विरोध प्रकट किया जिसका निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलांटगण पक्षकारान ने दौराने बहस स्वीकार किया कि खसरा संख्या 17 व 18 से एकदम लगता रास्ता नहीं है। रास्ता खसरा संख्या 16 मे से निकलता है। रास्ते व खसरा संख्या 17, 18 के बीच खसरा संख्या 16 की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सड़क पर भूमि नहीं दी गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षय को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी होने के बाद अपीलांटगण द्वारा काऊण्टर क्लेम पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में नायब तहसीलदार स्वयं ने मौके पर जाकर कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया। अपीलांटगण द्वारा मामले को लंबा करने के लिऐ बार–बार विभाजन प्रस्ताव पर आपति पेश करते है। अपीलांटगण को बारानी अव्वल किस्म की भूमि विभाजन में दी गई जो भूमि की उच्च किस्म है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण द्वारा बार–बार आपति जताई और अधीनस्थ न्यायालय ने आपति के मद्देनजर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये। अंतिमत और दूसरी बार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव बाकायदा नायब तहसीलदार स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए उभयपक्ष की मौजूदगी में बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 16.04.2018 को अंतिम डिक्री जारी की गई। इस विभाजन प्रस्ताव की मौका फर्द (दिनांक 17.03.2018) का भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि "वादीगण व प्रतिवादीगण के अपने–अपने कब्जा काश्त अनुसार प्रतिवादीगण अर्जुनराम व जगमाल वगैरह की काश्त व बाड़बंदी की हुई पाई गई तथा वादी जीवणदान द्वारा तारबंदी व पत्थर के टुकड़ों से कब्जा किया हुआ पाया गया।" मौका फर्द दिनांक 17.03.2018 में स्पष्ट है कि "मौका फर्द पढकर सुनाई गई सहमत लोगों ने हस्ताक्षर व अंगूठा निशान किये गये। प्रतिवादी जगमालराम, अर्जुनराम वगैरह ने हस्ताक्षर करने से मना किया जबकि प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित थे। मौका फर्द दिनांक 17.03.2018 में इंगित किया जाकर तदनुसार भूमि की एक समान गुणवता एवं कब्जे काश्त के मद्देनजर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। वादी/रेस्पोडेंट एक सद्भावी क्रेता है जिसको अपने हिस्सा पृथक करवाने का पूर्ण अधिकार है। हस्तगत विभाजन में अपीलांटगण को बारानी अव्वल किस्म की भूमि हिस्से में दी गई जो भूमि की किस्मों में सर्वोच्चा किस्म है। अपीलाधीन विभाजन के द्वारा किसी का हिस्सा कम ज्यादा नहीं किया गया है सभी सहखातेदारों को अपने हिस्से अनुसार दोनों खसरों में भूमि दी गई है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है: और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bounds तैयार किये गए नायक तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 241/2015 बअनवान जीवणदान बनाम जगमाल वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 को यथावत रखा जाता है।

15/10/19

(नाथूसिंह राजपुरोहित)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/10/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner